स्वपनधर व अन्य

बनाम

पष्चिम बंगाल राज्य व अन्य

अक्टूबर 8, 2007

(एस.बी. सिन्हा व एच.एस. बेदी, न्यायाधिपति)

न्यायालय के निर्णय की अंतिमता-पक्षकार द्वारा अपील द्वारा चुनौती नहीं-निर्णय के विपरित अनुतोष का दावा करते हुए पश्चात्वर्ती रिट याचिका दायर-विरोधी पक्षकार द्वारा दायर अपील में दिये गये आदेष के आधार पर-अभिनिर्धारित-ऐसा अनुतोष स्वीकार्य नहीं, पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं करने के कारण निर्णय को अंतिम रूप से स्वीकार किया गया-प्रकरण के तथ्यों की रोषनी विलय का सिद्धान्त लागू नहीं-सेवा विधि-सेवा के परिलाभ अनुदत्त-विलय का सिद्धान्त।

सिद्धान्त-विलय का सिद्धान्त-लागू होने के आधार

अपीलार्थीगण जो कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण में अस्थाई पम्प ऑपरेटर के रूप में कार्यरत के कलकत्ता नगर

निगम में घंटाघर में घड़ी घुमाने के पद पर स्थानान्तरण अपीलार्थीगण द्वारा घड़ी घुमाने के पद को निम्न पद बताते हुए रिट याचिका दायर की गई-उनका फिटर ड्राईवर के पद पर नियुक्त होने का वैधानिक दावा-उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा प्राधिकरण को उपयुक्त समान पद दिये जाने हेतु निर्देषित किया गया-प्राधिकरण द्वारा निर्णय के अवलोकन पश्चात् उक्त पद दिये जाने से इन्कार किया गया।

अपीलार्थीगण द्वारा एक अन्य रिट याचिका समान पद पर लगाने हेतु प्रस्तुत की गई, जो उच्च न्यायालय के एकल पीठ द्वारा आदेष दिनांक 08.01.1992 के माध्यम से स्वीकार की गई, परन्तु परिलाभ पूर्व दिनांक से ना दिये जाने के बजाय रिट याचिका प्रस्तुत किये जाने की दिनांक से दिये जाने हेतु निर्देषित किया गया। अपीलार्थीगण द्वारा इस आदेष को अपील के माध्यम से चुनौती नहीं दी गई। निगम की ओर से दायर अपील को उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा खारिज किया गया। आदेष के विरूद्ध प्रस्तुत विषेष अनुमति याचिका भी खारिज।

अपीलार्थीगण द्वारा निगम के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना की याचिका निस्तारित। प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को समान पद पर कार्य करते हुए आदेष दिनांक 08.01.1992 के अनुसार पारिणामिक परिलाभ अनुदत्त किये गये। अपीलार्थीगण द्वारा अन्य अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई, जो पृथक से रिट याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए खारिज की गई।

प्रार्थीगण द्वारा रिट याचिका दायर की गई, जो उच्च न्यायालय की एकलपीठ एवं खण्डपीठ द्वारा खारिज की गई-अतः हस्तगत अपील खारिज-न्यायालय अभिनिर्धारित-उच्च न्यायालय की एकलपीठ द्वारा आदेष दिनांक 08.01.1992 से अपीलार्थीगण को पूर्ववर्ती दिनांक के बजाय रिट याचिका दायर करने की दिनांक से सेवा परिलाभ अनुदत्त किये जाने के लिए विषिष्टतया निर्देषित किया गया था। अपीलार्थीगण द्वारा उक्त निर्णय को चुनौती नहीं दी गई। उनके द्वारा आदेष के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई। अतः उक्त आदेष अंतिमता प्राप्त कर चुका है, अपीलार्थीगण पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर खण्डपीठ द्वारा दिये गये अवलोकन के

आधार पर नये अनुतोष की मांग नहीं कर सकते हैं। (पैरा 12) (790 जी-एच; 791-ए)

विलय का सिद्धान्त तब तक लागू नहीं हो सकता है जब तक खण्डपीठ द्वारा विषिष्ट रूप से ऐसा कथन किया गया होता। यद्यपि अपीलार्थीगण द्वारा एकलपीठ के निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी, विलय का सिद्धान्त खण्डपीठ द्वारा स्पष्ट रूप से कथन करने पर ही लागू हो सकता था। खण्डपीठ द्वारा पारित आदेष कलकत्ता नगर निगम ने फिटर ड्राईवर ग्रेड-1 व ग्रेड-2 पर एक निर्धारित तिथि से कार्यरत करने तक ही सीमित था। यद्यपि अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। विलय का सिद्धान्त लागू करते हुए खण्डपीठ अपीलार्थीगण को उचित परिलाभ अनुदत्त नहीं कर सकते थे। (पैरा 12) (791 ए-सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील नम्बर 4767/2007

कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा ए.पी.ओ. नम्बर 202/2001 में दिनांक 26.07.2006 को पारित निर्णय व अंतिम आदेश के विरूद्ध

प्रदीप घोष, पदमिनी बेहेरा, चंचल कुमार गांगुली व रीना सरकार, अपीलार्थीगण की ओर से।

तपष राय, एल.सी. अग्रवाल, तारा चन्द्र शर्मा, नीलम शर्मा व कृष्णदत्त, गैर-अपीलार्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय एस.बी. सिन्हा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. यहां अपीलार्थी कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण में अस्थाई पम्प ऑपरेटर के रूप में काम कर रहे थे। उन्हें कलकत्ता नगर निगम (इसके बाद "निगम" के रूप में संदर्भित) में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्हें 15 जून, 1978 तक टर्न क्लॉक के पद पर शामिल होने के लिए कहा गया था जो उनके अनुसार एक निचला पद था। अपीलकर्ताओं द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि उनके पास फिटर ड्राईवर के रूप में नियुक्त होने का वैध दावा है। निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.07.1986 द्वारा,

3. यह आरोप है कि उप-नगर आयुक्त (कार्मिक) ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेष दिनांक 11.07.1986 की गलत व्याख्या करके अपीलकर्ताओं के दावे को खारिज कर दिया। अपीलकताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर की। उक्त रिट याचिका को कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीष ने दिनांक 08.01.1992 के एक आदेष द्वारा निम्नलिखित निर्देष दिये हुए अनुमति दी थीः पीठ ने कहा,

> "जून 08, 1978 के आदेष को उचित तरीके से पढ़ने की जरूरत है। यह आदेष अपने आप में रिट आवेदन में लगाये गये आदेष को रद्द करने का एक आधार है। इसके अलावा कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के सहायक प्रषासनिक अधिकारी सुनील कुमार बनर्जी द्वारा 17 सितम्बर, 1997 को पुष्टि किये गये हलफनामे-इन-विपक्ष ने याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया। यह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तरदाताओं ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों पर विचार करने की परवाह नहीं की और उच्च अधिकारियों के विचार के लिए तैयार

अधिकारी की नोटिंग पर भी विचार नहीं किया। उन परिस्थितियों में, मैं आक्षेपित आदेष को रद्द करता हूं। मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता रोजगार और पदों के समानीकरण में व्यवहार किये जाने के हकदार थे। याचिकाकर्ताओं को सभी सेवा लाभ प्रदान किये जायेंगे। याचिकाकर्ताओं को रिट आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से सेवा लाभ दिया जाएगा, न कि किसी पूर्व तिथि से। रिट याचिका यहां ऊपर दिये गये निर्देष के साथ सफल होती है। यह आदेष इस आदेष के पारित होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर लागू किया जायेगा।"

(जोर दिया गया)

4. अपीलकर्ताओं ने उक्त आदेष के विरूद्ध कोई अपील नहीं की, जबकि कलकत्ता नगर निगम ने अपील की। कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दिनांक 24.08.1993 के एक निर्णय द्वारा निगम द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए निम्नानुसार कहाः

"हमें रिट याचिकाकर्ताओं के विपरीत पक्षों के साथ टर्न क्लॉक के रूप में व्यवहार करने का कोई कारण नहीं मिलता है और परिणामस्वरूप, चाहे फिटर ड्राईवर का पद पदोन्नत हो या नहीं, इस मामले में पूरी तरह से अप्रासंगिक है। यदि रिट याचिकाकर्ताओं के विपरीत पक्षों को मूल रूप से टर्न क्लॉक के पद पर नियुक्त किया गया है उस स्थिति में यह तर्क दिया जा सकता था कि वे फिटर ड्राइवर के पद पर अपना हाथ नहीं रख सकते जो पदोन्नति के अलावा पदोन्नति वाला पद था। मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए हमारा स्पष्ट मानना है कि विद्वान ट्रायल न्यायाधीश यह मानने में सही था कि उन्हें सेवा के स्थानांतरण की तारीख से फिटर ड्राइवर के रूप में माना जाना चाहिए। हमें विद्वान ट्रायल जज द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार और/या कारण नहीं मिला।"

5. उक्त निर्णय के विरुद्ध दायर एक विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 25.2.1994 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

6. उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा करते हुए या उसके आधार पर, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादी अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त अवमानना आवेदन को डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 29.6.1995 के आदेश द्वारा निम्नलिखित शर्तों में निपटाया गया थाः

> "यह आदेश दिया जाता है कि यह नियम लागू है और इसे एतद्वारा जारी किया जाता है और जिस आवेदन पर उक्त नियम जारी किया गया था उसे पूर्वगामी निर्देशों के साथ निपटाया जाता है। और यह भी आदेश दिया गया है कि पक्षों को इस न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निर्धारित आदेश की एक प्रति उनके सामने पेश की जाएगी, जिस पर कार्रवाई की जाएगी।"

7. उक्त निर्देशों के अनुसरण में या कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका और अवमानना कार्यवाही दोनों में की गई टिप्पणियों के अनुसरण में, निगम द्वारा 28.9.1995 को निम्नलिखित शर्तों पर एक आदेश पारित किया गया थाः

"1. यह कि आपको 8.6.78 से फिटर ड्राइवर ग्रेड-प्प् के रूप में माना जाता है और सेवा पुस्तिका में इस आशय का आवश्यक सुधार तदनुसार किया जाएगा।

2. यह कि आपको सेवा लाभ 23.2.87 अर्थात रिट आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से मिलेगा।

3. यह कि ज्वाइनिंग की अवधि यानी 21.12.79 से ट्रायल कोर्ट के फैसले की तारीख तक की अवधि को टर्मिनल लाभ के रूप में गिना जाएगा।

4. आपको फिटर ड्राइवर ग्रेड-प् के रूप में 29.6.85 की तिथि से माना जाएगा।"

8. अपीलार्थी उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 28.9.1995 से संतुष्ट नहीं थे। उनका तर्क यह था कि निगम ने उन्हें 8.6.1978

से फिटर ड्राइवर ग्रेड-पे और 29.6.1985 से फिटर ड्राइवर ग्रेड-प् के पद पर तैनात किया था, लेकिन 23.2.1987 से परिणामी लाभों के अनुदान को सीमित नहीं करना चाहिए था, जैसा कि विद्वानों ने देखा था। एकल न्यायाधीश के दिनांक 23.9.1995 के उक्त आदेश के मद्देनजर, कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक और अवमानना याचिका दायर की गई थी और दिनांक 12.2.1998 के आदेश के कारण उस पर विचार नहीं किया गया, जिससे अपीलकर्ताओं को एक अलग रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता मिल गई।

9. उक्त टिप्पणियों के अनुसरण में अपीलकर्ताओं द्वारा दायर एक रिट याचिका को विद्वान एकल न्यायाधीश और डिवीजन बेंच दोनों द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस प्रकार, अपीलकर्ता हमारे सामने हैं।

10. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री प्रदीप घोष प्रस्तुत करेंगे कि उच्च न्यायालय ने दिनांक 24.8.1993 को आक्षेपित निर्णय पारित करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है क्योंकि वह उक्त न्यायालय की एक अन्य डिवीजन बेंच

द्वारा पूर्व में की गई टिप्पणियों पर विचार करने में विफल रहा। कार्यवाही. यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती क्योंकि उन्होंने 8.1.1992 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती नहीं दी थी।

11. हालांकि, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री तपश रे ने विवादित फैसले का समर्थन किया। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि एक पीड़ित पक्ष के अधिकार का निर्धारण करते समय अपने विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए एक रिट अदालत एक विशेष तिथि से परिणामी सेवा लाभ देने की हकदार है। दूसरे शब्दों में, किसी कर्मचारी को किसी विशेष अवधि के लिए सेवा लाभ से वंचित करने के लिए रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करने वाली अदालत के लिए यह खुला है।

12. जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.1.1992 से स्पष्ट होगा कि उसमें स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि अपीलकर्ताओं को रिट आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से सेवा लाभ दिया जाना था, न कि किसी पूर्व

तिथि से। अपीलकर्ताओं ने उक्त निर्णय को स्वीकार कर लिया। उन्होंने उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की। आदेश के उक्त भाग को अंतिम रूप देने की अनुमति देने के बाद, हमारी राय में, अपीलकर्ता, बाद के चरण में, केवल डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर या उसके आधार पर नई राहत का दावा नहीं कर सकते थे। अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा प्रतिपादित विलय के सिद्धांत को लागू माना जा सकता था, बशर्ते डिवीजन बेंच ने स्पष्ट रूप से यही कहा था, भले ही अपीलकर्ताओं द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई थी। डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियाँ केवल एक विशेष तिथि से कलकत्ता नगर निगम में फिटर ड्राइवर, ग्रेड-प् और प्प् के रूप में तैनात होने के उनके अधिकार के निर्धारण के संबंध में थीं। जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी और मामले को देखते हुए, हमारे लिए श्री घोष की दलीलों को स्वीकार करना मुश्किल है कि विलय के सिद्धांत को लागू करके या अन्यथा डिवीजन बेंच

ऐसा कर सकती है। अपीलकर्ताओं को कोई उच्च लाभ दें, हालांकि उनके द्वारा कोई अपील दायर नहीं की गई थी।

13. उपरोक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार, अपील खारिज की जाती है। हालाँकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अश्का राव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।